नि/निग०/सतना/भू-रा०/2017/0055 3209

(94)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला—रीवा म.प्र

Rs.30/-

01—गुड़िया कोल पत्नी स्व. ददुलिया कोल, उम्र 60 वर्ष,

02—रामलाल कोल पिता स्व. ददुलिया कोल, उम्र 30 वर्ष

03—तुलसा बाई कोल पत्नी स्व. रामसजीवन कोल, उम्र 50 वर्ष,

04—दयाराम कोल पिता स्व. रामसजीवन कोल, उम्र 36 वर्ष

05—शिवलाल कोल पिता स्व. रामसजीवन कोल, उम्र.31वर्ष

06—रामनरेश कोल पिता स्व. रामसजीवन कोल, उम्र.25वर्ष

07—रोशनलाल कोल पिता स्व. रामसजीवन कोल, उम्र.18वर्ष, सभी निवासी ग्राम शिवपुरवा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला—सतना म.प्र....निगराकारगण

अधि० श्री के.सी. तिवारी द्वारा पेश। 21.12.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

01—शिवकुमार पिता रामसेवक कोल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम शिवपुरवा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला—सतना म.प्र.

02—बसन्तलाल पिता रामचरण कोल मृत—

03—रामखेलावन पिता बसन्तलाल कोल,

04—रामसेवक कोल मृत—विधिक वारिसान—

4—1 श्रीमती राजकुमारी पत्नी रामसेवक कोल,

4—2 शुभकरण पिता रामसेवक कोल,

4—3 शुक्रवती पिता रामसेवक कोल

4—4 सावित्री पिता रामसेवक कोल, सभी निवासी ग्राम शिवपुरवा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला—सतना म.प्र.

05—शासन म.प्र...गैरनिगराकारगण

के.सी. तिवारी एडवो. 21/12/2017

क्रमशः........2

रामलाल

तुलसाबाई

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना म.प्र. के रा.प्र.क.4अ6/2015–16 में पारित आलोच्य एवं अन्तरिम आदेश दिनांक 22.11.2017

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

संक्षिप्त तथ्य

01–प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि – तहसील रामपुर बाघेलान, वृत्त चोरहटा अन्तर्गत मौजा शिवपुरवा की आ.नं.–268/2ख, 303/37, 304/38/क/2, 304/38/ख किता 4 कुल रकवा 0.745 हे. एवं मौजा ओबरी की आ.नं.–657/4 किता 1 रकवा 2.023 हे. निगराकारगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं सहखाते की कृषि भूमियां हैं। उक्त आराजियात के सहखातेदार बसन्तलाल तनय रामचरण कोल थे जो दिनांक 14.02.2015 को लाबल्द फौत हो चुके हैं, उनके अन्य कोई सन्तान नहीं हैं। निगराकारगण विधिक वारिस हैं, जिनके नाम जरिए पंजी क्र.3 एवं 7 आदेश दिनांक 07.04.2016 द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात का वारसाना नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्डों में निगराकारगण का नाम दर्ज अभिलेख है।

यह कि निगराकारगण की उपरोक्त वर्णित आराजियातों में बसन्तलाल तनय रामचरण कोल (मृत) सहखातेदार के हक–हिस्से की आराजियात के संबंध में गैरनिगराकार क्र.1 ने फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर नामान्तरण का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के

क्रमशः.........3

निशा० रामलाल अंगूठा

निशा० गुलाबाई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/0055 जिला–सतना

गुड़िया कोल/ शिव कुमार कोल वगैरः

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0सी0 तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 ना0 तहसीलदार तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 4/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	